सांस्कृतिक कार्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं

केदार सिंह फोनिया
मंत्री
पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य,
युवा कल्याण एवं खेलकूद, उ०प्र०

फोन : कार्यालय : सी.एच. 8360
244958
आवास : 241184
विधान भवन
लखनऊ
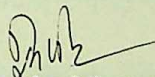
दिनांक...2...दिसम्बर,...1991

संदेश

सांस्कृतिक कार्य विभाग,उ0प्र0 द्वारा कला व कलाकारों के उन्नयन व प्रोत्साहन के लिये कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है । इन योजनाओं की सम्यक जानकारी प्रदेश के कला और संस्कृति से जुड़े लोगों तक पहुँचाने के लिये काफी दिनों से एक लघु पुस्तिका के प्रकाशन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी ।

मुझे प्रसन्नता है कि विभाग इस कमी को दूर करने की दृष्टि से विभागीय योजनाओं की जानकारी इस प्रकाशन के माध्यम से जन-साधारण तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है । विभाग के इस सराहनीय प्रयास के माध्यम से मुझे विश्वास है कि, विभागीय योजनाओं से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे ।

। केदार सिंह फोनिया ।

■ संस्करण 1991

स्तुति कक्कड़, निदेशक साँस्कृतिक कार्य, उ० प्र० शासन, नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा प्रकाशित एवं प्रतिभा प्रेस (ऑफसेट डिवीजन), लखनऊ फोन : 247101 द्वारा मुद्रित।

उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन, संरक्षण, उन्नयन, संवर्द्धन एवं प्रचार-प्रसार हेतु सांस्कृतिक कार्य विभाग, उ० प्र० की ओर से अनेक योजनाएँ संचालित हैं, जिनके अन्तर्गत नवोदित कलाकारों, संगीत शिक्षण संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, अशासकीय संग्रहालयों, कलाकारों के व्यवसायिक दलों, कला सम्बन्धी पत्रिकाओं, वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों और लेखकों को अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता/अनुदान/छात्रवृत्ति/अध्ययनवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है।

इन योजनाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी निम्न प्रकार है :—

1- सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान

प्रदेश की पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थाओं को उनके पिछले तीन साल की गतिविधियों एवं आय-व्यय के आधार पर विभिन्न कार्यों हेतु अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है, जिसके लिए आवश्यक है कि,

1- संस्था सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए गठित की गयी हो।

2- संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

3- संस्था के अभिलेखों का रखरखाव समुचित ढंग का हो। संस्था का लेखा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षित होता हो।

4- विभाग से प्राप्त आवेदन प्रपत्र के प्रारूप पर ही आवेदन करना होगा।

5- अनुदान स्वीकृत होने पर एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसका प्रारूप निदेशालय से प्राप्त होगा।

6- अनुदान की धनराशि का नियत तिथि के अन्दर उपभोग कर निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2- संगीत शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

प्रदेश की उन पंजीकृत संस्थाओं, जो संगीत का शिक्षण कार्य करती हैं, विभिन्न कार्यों हेतु अनावर्तक अनुदान दिया जाता है, इसके लिए आवश्यक है कि,

1- संस्था संगीत विद्यालय के रूप में कार्यरत हो।

2- संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

3- अन्य सभी शर्तें सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान की तरह।

3- स्वायत्तशासी पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थाओं/संगठनों को प्रेक्षागृह निर्माण, मरम्मत एवं साज-सज्जा/उपकरण हेतु अनुदान

1- यदि निर्माण कार्य हेतु अनुदान की मांग की जा रही हो तो संस्था के पास प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु भूमि होनी चाहिए तथा प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु नक्शा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

2- साज-सज्जा एवं उपकरणों की मांग के लिए अनुदान हेतु संस्था का अपना प्रेक्षागृह होना चाहिए तथा वांछित सामान की सूची एवं व्यय का आगणन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

3- अन्य शर्तें सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान की तरह।

4- गैर सरकारी संग्रहालयों को अनुदान

प्रदेश के अशासकीय संग्रहालयों को उनके विकास हेतु अनुदान दिया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि,

1- संग्रहालय कार्यरत हो एवं दर्शकों के दर्शनार्थ उपलब्ध हो।

2- संग्रहालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

3- विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र हो।

4- अन्य शर्तें सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान की तरह।

5- विशिष्ट निष्पादन कला परियोजनाओं में कार्यरत व्यवसायिक दलों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत नाट्य दलों, संगीत मण्डलियों, वृन्दगान समूह, कठपुतली थियेटर और निष्पादन कला कार्य-कलापों के सभी स्वरूपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, इसके लिए,

1- प्रदेश स्तर पर कार्य करने वाली संस्था होनी चाहिए।

2- परियोजना एवं धनराशि की स्वीकृति निदेशक द्वारा की जायेगी।

3- परियोजना में व्यय होने वाली विभिन्न मदों की धनराशि में कुछ के लिए ही सहायता दी जाती है।

4- अनुदान का उपयोग उसी परियोजना में करना होगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत होती है।

5- अन्य शर्तें सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान की तरह।

6- प्रदर्श, रूपंकर एवं साहित्यिक कलाओं की विशिष्ट पत्रिकाओं को प्रोत्साहन

अव्यवसायी लघु पत्रिकाएँ जो सम्पूर्ण रूप से साहित्य, प्रदर्श एवं रूपंकर कलाओं से सम्बन्धित हैं, जिनमें पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए घटिया तथा व्यवसायिक सामग्री का समावेश नहीं किया जाता है तथा जो कला, साहित्य और संस्कृति के प्रचार और संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, का प्रकाशन प्रायः आर्थिक रूप से लाभकर नहीं होता है। ऐसी उच्च स्तरीय पत्रिकाएँ जिन्हें बड़े प्रकाशन, संस्थाएँ एवं व्यवसायिक संगठन भी सम्पोषित नहीं करते हैं, बिना किसी सहायता के प्रायः बन्द हो जाती हैं। सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा इन्हीं पत्रिकाओं को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना है जिससे वे अपना प्रकाशन जारी रख सकें। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम पत्रिका की 500 प्रतियों तक के मूल्य के बराबर धनराशि की व्यवसायिक सहायता प्रदान की जाती है।

7- निष्पादन, रूपंकर (प्लास्टिक) कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को अध्ययनवृत्ति

निष्पादन, रूपंकर (प्लास्टिक) कलाओं एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को अपने क्षेत्र में प्रयोगों को जारी रखने अथवा अध्ययन करने हेतु अध्ययनवृत्ति देने की योजना है। इसमें उत्तर प्रदेश के लोक एवं जनजातीय कला के अध्ययन, शोध को भी सम्मिलित किया गया है। इसके लिए,

1- कलाकार ने निष्पादन तथा रूपंकर कलाओं में कम से कम राज्य स्तरीय ख्याति अर्जित की हो।

2- उसकी आयु 25 से कम और 65 से अधिक न हो।

3- किसी अन्य संस्था/सेवा में कार्यरत न हो। अध्ययन पूर्णकालिक रूप से करना पड़ेगा।

4- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

5- अध्ययनवृत्ति की धनराशि सीनियर 1500 एवं जूनियर 750/- रु० प्रतिमाह होगी जो दो वर्ष के लिए होगी।

6- प्रत्येक छः माहों में कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा।

7- आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही प्रस्तुत किया जायें।

8- वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता

प्रदेश के वृद्ध एवं असहाय कलाकारों को वर्ष में एकमुश्त अधिकतम रु० 3000/- तक वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। इसके लिए,

1- कलाकार की आयु 55 वर्ष से अधिक हो (प्रमाण स्वरूप हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र)।

2- कलाकार की वार्षिक आय रु० 3000/- से अधिक न हो (तहसीलदार अथवा उच्च राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र)।

3- कलाकार ने अपनी कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो और ख्याति अर्जित की हो।

4- विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। साथ में आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित क्षेत्र में किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण अवश्य संलग्न करना होगा।

9- वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/साहित्यकारों को मासिक पेंशन

प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को अधिकतम रु० 500/- (रु० पांच सौ मात्र) प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की योजना है, जिसके लिए आवश्यक है कि,

1- कलाकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो (प्रमाण स्वरूप हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र)।

2- कलाकार की समस्त स्रोतों से आय रु० 6000/- प्रतिवर्ष से अधिक न हो (तहसीलदार अथवा उच्च राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र)।

3- कलाकार/साहित्यकार ने अपनी कला/साहित्य के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की हो तथा अच्छा कार्य किया हो।

4- विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित कला/साहित्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण अवश्य लगाया जाय।

5- आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

10- नवोदित कलाकारों को छात्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी 18 से 28 वर्ष की आयु के मध्य के उन उभरते कलाकारों, जिन्होंने अपनी गायन, वादन, नृत्य, नाटक, चित्रकला आदि किसी भी कला में दक्षता प्राप्त की हो, को रु० 400/- (रु० चार सौ मात्र) प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि,

1- विद्यार्थी को सम्बन्धित कला में उपाधि प्राप्त हो।

2- विद्यार्थी की आयु 18 से 28 वर्ष के मध्य हो।

3- सम्बन्धित गुरु/संस्था की उच्च शिक्षा देने हेतु सहमति होनी चाहिए।

4- छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर अभिभावक को एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा।

5- आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

11- प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति

10 से 14 वर्ष की आयु के प्रतिभावान बच्चों को उन्हें कला विशेष में अध्ययन करने हेतु रु० 100/- (रु० एक सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से बीस वर्ष आयु तक अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि तक छात्रवृत्ति दी जाती है, जो एक बार में एक वर्ष के लिए स्वीकृत होती है तथा कार्य प्रगति एवं गुरु की संस्तुति पर आगे एक वर्ष के लिए बढ़ायी जाती है और वर्षानुवर्ष 20 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक या विश्वविद्यालय की उपाधि से पूर्ण स्तर तक लाभार्थी द्वारा संतोषजनक प्रगति करने की स्थिति में बढ़ायी जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि,

1- बच्चे की आयु 10 से 14 वर्ष के मध्य हो और वह कहीं अध्ययन कर रहा हो।

2- सम्बन्धित कला में किसी गुरु से शिक्षा ग्रहण करे।

3- निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय।

4- जिस गुरु से विशेष प्रशिक्षण लेना हो, उसकी सहमति भी लगानी होगी।

5- निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6- जिन बच्चों को छात्रवृत्ति स्वीकृत होगी, उनके अभिभावक को एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा।

अनुदान स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया

1- प्रत्येक वर्ष मई माह में योजनाओं का विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है।

2- आवेदन पत्रों के निर्धारित प्रपत्र सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, उ० प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त किये जा सकते हैं।

3- निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रत्येक वर्ष आवेदन किया जा सकता है।

4- आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनकी जांच होती है और बाद में इस हेतु गठित विशेषज्ञों की समिति की संस्तुतियों के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

5- अनुदान स्वीकृत होने पर आवेदनकर्ता को रु० 7.50 के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरना होता है जिसमें मुख्य शर्तें निम्न होती हैं :-

(अ) जिस प्रयोजन के लिए अनुदान स्वीकृत हुआ है उसी प्रयोजन में उपयोग किया जायेगा।

(आ)आदेशों में निर्धारित तिथि के पूर्व ही उपयोग किया जायेगा।

(इ) निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र नियत प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कराकर नियत तिथि तक जमा कर दिया जायेगा।

(ई) अनुदान का लेखा अलग से रखा जायेगा जो प्रत्येक समय विभाग एवं आडिट विभाग के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

(उ) नियत तिथि तक न उपयोग हुए धन को वापस कर दिया जायेगा।

(ऊ) नियमों के उल्लंघन पर समस्त धनराशि राजस्व बकाये की भाँति वसूल की जा सकती है।

6- अनुबन्ध पत्र भरने के उपरान्त बैंक ड्राफ्ट द्वारा अनुदान की धनराशि का सम्बन्धित संस्थाओं को भुगतान किया जाता है।

प्रत्येक योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र एवं नियमावली हेतु **निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, उ० प्र०, नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ** से सम्पर्क किया जा सकता है।

पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति पंजीयन योजना

प्रदेश की कोई भी मूर्ति, लघु चित्र, एवं सचित्र पाण्डुलिपि जो 100 वर्ष पुरानी हो उसका 'पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972' के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। ऐसा न करना कानूनन जुर्म है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पूरे प्रदेश को दस क्षेत्रों में वर्गीकृत कर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इनके पते एवं सम्बन्धित जिलों की सूचना नीचे दी जा रही है जहाँ से विभाग की अन्य गतिविधियों की जानकारी एवं अनुदान सम्बन्धी प्रार्थना पत्र भी प्राप्त एवं प्रस्तुत किये जा सकते है :—

	कार्यालय का पता	क्षेत्र
1-	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, 19, एम०आई०जी०, नया शाहगंज, आगरा।	आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद।
2-	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, 2ए, मिशन रोड, कटरा कचहरी, इलाहाबाद।	इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद।
3-	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, जिला परिषद कम्पाउण्ड, झाँसी।	झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बाँदा।

4- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या, फैजाबाद।	फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोण्डा, प्रतापगढ़, बहराइच।
5- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, 310, सरस्वती भवन, अलहदादपुर, गोरखपुर।	गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, महराजगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर।
6- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, 12 सी, रामपुर बाग, बरेली।	बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर।
7- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, 82/8, शास्त्रीनगर, मेरठ।	मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, देहरादून।
8- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, बी-37/194, सी-गिरिनगर, बिरदोपुर, वाराणसी।	वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, सोनभद्र।
9- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, 171/2, आर. के. टण्डन रोड, कैसरबाग, लखनऊ।	लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर-खीरी, हरदोई, रायबरेली।
10- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति, नेगी भवन, मल्लीताल, नैनीताल।	नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़,

केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता संबंधी विभिन्न योजनायें :-

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न अनुदान/छात्रवृत्ति/पेंशन/वित्तीय सहायता संबंधी उपरिलिखित योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार की भी नीचे उल्लिखित वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति/पेंशन आदि की विभिन्न योजनायें हैं जिनके बारे में समय-समय पर जानकारी दी जाती रहती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच आदि करके सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, उ० प्र० द्वारा केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजी जाती है।

1- **विशिष्ट निष्पादन कला परियोजनाओं के लिए व्यवसायिक दलों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।**

2- सांस्कृतिक कार्यकलापों में कार्यरत **संस्थाओं/संगठनों/सोसायटियों**

को अनुसंधान सहायता के लिए वित्तीय सहायता की योजना।

3- बुद्धिष्ट/तिब्बतन संस्थाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता।

4- सांस्कृतिक संगठनों को भवन निर्माण योजना।

5- गैर सरकारी संग्रहालयों के विकास एवं पुनर्गठन हेतु वित्तीय सहायता।

6- हिमालय की सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण एवं विकास हेतु वित्तीय सहायता।

7- पाण्डुलिपियों के संरक्षण, सूचीकरण तथा प्रकाशन आदि हेतु स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं तथा पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता की योजना।

8- राष्ट्रीय स्मारकों के विकास एवं संधारण हेतु स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को वित्तीय सहायता।

9- केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली द्वारा युवा रंगमंच कलाकारों को सहायता।

10- नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला आदि के क्षेत्र में 18 से 28 वर्ष की आयु वर्ग के कलाकारों को उच्च प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति योजना।

11- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के साहित्यिक एवं प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में अति उत्कृष्ट कलाकारों को सेवानिवृत्ति शिक्षावृत्ति की योजना।

12- 25 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के साहित्यिक एवं प्लास्टिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को शिक्षावृत्ति की योजना।

13- जनजातीय तथा लोककला और संस्कृति की प्रोन्नति एवं प्रसार के संबंध में केन्द्रीय वित्तीय सहायता।

इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित पतों पर सीधे पत्र व्यवहार करके प्राप्त की जा सकती है :–

(1) संस्कृति विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

(2) केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी,
रवीन्द्र भवन,
कोपर्निकस मार्ग,
नई दिल्ली ।

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, उ० प्र० के अधीनस्थ कार्यालय

क्र.सं.	कार्यालय का नाम व पता	टेलीफोन कार्यालय	टेलीफोन आवास
	संग्रहालय		
1-	श्री जितेन्द्र कुमार निदेशक, राज्य संग्रहालय, बनारसी बाग, लखनऊ	235542	
2-	श्री जितेन्द्र कुमार निदेशक, राजकीय संग्रहालय, ग्वालियर रोड, झाँसी	2220	
3-	श्रीमती पुष्पा ठकुरैल कार्यवाहक निदेशक, राजकीय संग्रहालय, डम्पियर रोड, लखनऊ	3191	6852
4-	श्री आर० सी० तिवारी निदेशक, पं० गोविन्द वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, सेन्ट्रल लाज, अल्मोड़ा		
5-	श्री आर० सी० तिवारी निदेशक, रामकथा संग्रहालय, राजसदन, अयोध्या, फैजाबाद		
6-	श्री शिवाधार मिश्र प्रभारी, सुल्तानपुर संग्रहालय, सुपर मार्केट (नगर महापालिका परिसर), सुल्तानपुर		
7-	श्री जितेन्द्र कुमार निदेशक, बौद्ध संग्रहालय, गोपलापुर, गोरखपुर		
8-	डा० ए० के० श्रीवास्तव प्रभारी, लोक कला संग्रहालय, कला परिसर, 27, कैसरबाग, लखनऊ		234393
	पुरातत्व		
1-	डा० राकेश तिवारी निदेशक, उ० प्र० राज्य पुरातत्व संगठन, रोशनुद्दौला कोठी, कैसरबाग, लखनऊ	243045	76880
2-	डा० अम्बिका प्रसाद सिंह सर्वेक्षण सहायक तथा प्रभारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, रायगंज, झाँसी		
3-	श्री हेमराज क्षेत्रीय पुरात च अधिकारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, सिराड़ी भवन, खत्याड़ी मोहल्ला, अल्मोड़ा		
4-	श्री पी० के० सिंह क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, अपर बाजार, पौड़ी गढ़वाल		
	अभिलेखागार		
1-	डा० राकेश तिवारी कार्यकारी निदेशक, उ० प्र० राजकीय अभिलेखागार, बी-44, महानगर विस्तार, लखनऊ	71813	
2-	डा० त्रिपिन्ड भास्कर क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, ओ-22/23, शास्त्रीनगर, काशी विद्यापीठ रोड, सिगरा, वाराणसी		

3- डा० ओम प्रकाश
क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, 44/3, ई०सी० रोड, देहरादून

4- कु० रेखा त्रिवेदी 53174
क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी,
53, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद

5- डा० लालता प्रसाद
क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी,
2 ए-बी, मेबिला कम्पाउण्ड, नैनीताल

6- डा० हरीश कुमार पाण्डेय
40, सी०ओ०डी० कालोनी, न्यू शाहगंज, आगरा

7- श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय
पाण्डुलिपि अधिकारी, ब्लाक नं० १, फ्लैट नं० 9, 12,
बाघम्बरी आवास योजना, अल्लापुर, इलाहाबाद

भातखण्डे संगीत महाविद्यालय

1- श्री गणेश प्रसाद मिश्र 242926
प्रधानाचार्य, भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय,
कैसरबाग, लखनऊ

2- (क) भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, अल्मोड़ा
(ख) भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून

अकादमी

1- श्री एन० खन्ना 248453 246961
सचिव, उ० प्र० ललित कला अकादमी,
लाल बारादरी, कैसरबाग, लखनऊ

2- श्री वी० वी० श्रीखण्डे 246872 234933
सचिव, उ० प्र० संगीत नाटक अकादमी,
27, कैसरबाग, लखनऊ

3- श्री राज बिसारिया 72387
निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी,
ए-2/58, गोमती नगर, लखनऊ

संस्थान

1- डा० नरेश चन्द्र बंसल 82376
निदेशक, वृन्दावन शोध संस्थान, रमणरेती, वृन्दावन

2- निदेशक
आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान,
48/2, प्राग नरायन रोड, लखनऊ

3- निदेशक
अयोध्या शोध संस्थान, तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या

4- डा० रामचन्द्र तिवारी
निदेशक, पं० गौविन्द वल्लभ पंत,
लोक कला संस्थान, नैनीताल,
कार्यालय– राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा

विभागीय अधिकारियों की सूची

			फोन	
			कार्यालय	आवास
1.	श्रीमती स्तुति कक्कड़ आई.ए.एस.	निदेशक	245923	236954
2.	श्री वी० पी० माथुर	संयुक्त निदेशक	243683	243169
3.	श्री ए० के० सिंह राठौर पी.सी.एस.	उप निदेशक	243683	—
4.	डा० ए० के० श्रीवास्तव	उपनिदेशक	243683	230799
5.	श्रीमती अनुराधा गोयल	उप निदेशक	243683	—
6.	श्री मुन्नी लाल	लेखाधिकारी	243683	—
7.	श्री अरविन्द सहाय	प्रोग्राम इक्जीक्यूटिव	240398	247805
8.	श्रीमती इन्दु सिन्हा	सहायक निदेशक	240398	70836
9.	श्री अजय कुमार अग्रवाल	सहायक निदेशक	240398	—
10.	श्री सतीश प्रकाश	सहायक लेखाधिकारी	243683	—